भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3728

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

स्माइल योजना के अंतर्गत प्रगति

3728. श्री अनिल फिरोजिया:
श्री पी. सी. मोहन:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
डॉ. संजय जायसवाल:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक और बेंगलुरु सहित राज्य और जिला-वार पिछले तीन वर्षों के दौरान आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु सहायता (स्माइल) योजना के अंतर्गत पुनर्वासित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और योजना के तहत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक और महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित राज्य और जिला-वार योजना के तहत स्वीकृत, आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ने योजना के अंतर्गत पुनर्वास, कौशल विकास और आजीविका उपायों की प्रभावशीलता का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल) योजना के तहत हुई प्रगति का विवरण —जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत पुनर्वास

किए गए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों की संख्या भी शामिल है, कर्नाटक और बेंगलुरु सहित राज्य और जिला-वार ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): इस योजना के तहत स्वीकृत, आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण, जिसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र का पालघर जिला भी शामिल है, **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग): सितंबर-अक्टूबर 2025 के दौरान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने स्माइल योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया। मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों पर उचित रूप से विचार किया गया है और उन्हें 16वें वित्त आयोग चक्र अर्थात 2026-27 से 2030-31 तक के दौरान योजना को जारी रखने के लिए संशोधित योजना दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है।

संलग्नक-I

'स्माइल योजना के अंतर्गत प्रगति' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3728, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल) – **'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास'** योजना के तहत हुई प्रगति का कर्नाटक और बेंगलुरु सहित राज्य और जिलेवार विवरण इस प्रकार है:

i. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 को 25.05.2026 से लागू किया गया है।

ii. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों और कानूनों के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देने, समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए बनाई गई नीतियों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करने, सरकार के सभी विभागों और गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी।

iii. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पीएमजेएवाई योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एनएचए की आयुष्मान भारत योजना के साथ अभिसरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। इसमें लिंग परिवर्तन (जेंडर रीअसाइनमेंट) और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जैसी 53 स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं शामिल हैं। अब तक 147 एबी पीएमजेएवाई टीजी कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

iv. विभाग ने 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश (2), महाराष्ट्र (3), मणिपुर, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (3) और पश्चिम बंगाल (2) में निराश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 23 गरिमा गृह, आश्रय गृह स्थापित किए हैं।

v. पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड जारी करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया गया है। अब तक 33,303 आईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

vi. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की निगरानी करने और ऐसे अपराधों की समय पर रिपोर्ट दर्ज करने, जांच करने और मुकदमा चलाया जाना सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस महानिदेशक के तहत राज्य स्तर पर ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। अब तक, अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब,

राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 27 ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

vii. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने, उन्हें सहायता प्रदान करने और सरकारी योजनाओं व कल्याणकारी उपायों तक उनकी पहुंच सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (टीडब्ल्यूबी) स्थापित किए गए हैं। अब तक अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 30 ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड स्थापित किए जा चुके हैं।

viii. विभाग ने ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार के अवसरों आदि तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति" जारी की है।

ix. उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ के माध्यम से 725 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है।

x. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) को 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम आवंटित किया गया है। अब तक 150 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

xi. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 14427 शुरू किया गया है। 2025-26 के दौरान 2374 कॉल प्राप्त हुए हैं।

xii. समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) की सहायता से तीन राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर रोजगार मेले आयोजित किए गए और इन रोजगार मेलों से 223 ट्रांसजेंडर व्यक्ति लाभान्वित हुए।

xiii. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नेशनल पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए प्रमाण पत्र/पहचान पत्र को आधार कार्ड में किसी भी आवश्यक अपडेट के लिए एक मान्य दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है।

xiv. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 05.01.2026 के अपने परिपत्र के माध्यम से, ईपीएफओ के रिकॉर्ड में नाम और जेंडर में बदलाव करने के लिए ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र/कार्ड को एक मान्य दस्तावेज के रूप में शामिल किया है।

xv. भारतीय रिजर्व बैंक ने 24.03.2025 के अपने मास्टर परिपत्र के माध्यम से, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र'' ऋण श्रेणी की "कमजोर वर्ग" उप-श्रेणी में शामिल किया है, जिससे उनके लिए स्वरोजगार प्रयोजनों के लिए आसानी से ऋण पाने का मार्ग खुल गया है।

xvi. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 2,172 घरों को मंजूरी दी है।

xvii. पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत पुनर्वास किए गए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कर्नाटक और बेंगलुरु सहित राज्य-वार संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गरिमा गृह के माध्यम से पुनर्वास किए गए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	50
2	असम	50
3	बिहार	70
4	छत्तीसगढ़	100
5	दिल्ली	70
6	गुजरात	51
7	कर्नाटक	65
8	मध्य प्रदेश	16
9	महाराष्ट्र	73
10	महाराष्ट्र	69
11	महाराष्ट्र	69
12	ओडिशा	81
13	पंजाब	50
14	राजस्थान#	48
15	तमिलनाडु	44
16	उत्तर प्रदेश	53
17	पश्चिम बंगाल	39
18	पश्चिम बंगाल	43
	कुल	1041

- केंद्र ने 2024-25 से काम करना बंद कर दिया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल) - **'भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास' योजना** के तहत कर्नाटक और बेंगलुरु सहित राज्य और जिलावार प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

योजना की शुरुआत के बाद से (अर्थात 23.10.2023 से), स्माइल भिक्षावृत्ति योजना के तहत कुल 10446 व्यक्तियों को बचाया गया है और उनका पुनर्वास किया गया है, जिसमें कर्नाटक में अब तक 139 व्यक्तियों का पुनर्वास किया जा चुका है। कर्नाटक और बेंगलुरु* सहित राज्य और जिला/शहर-वार विवरण इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर/जिला	पुनर्वास किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	638
2		तिरुपति	19
3	अरुणाचल प्रदेश	नामसाई	99
4	असम	होजाई/डोबोका	221
5		गोलाघाट	51
6		गुवाहाटी	137
7		तेजपुर	157
8	बिहार	पटना	455
9	चंडीगढ़ (यूटी)	चंडीगढ़	352
10	छत्तीसगढ़	जगदलपुर	1
11	दिल्ली एनसीटी	नई दिल्ली	1
12		पुरानी दिल्ली	234
13		करोल बाग	4
14		द्वारका	54
15		निजामुद्दीन	43
16		रोहिणी	11
17		शाहदरा	25
18	गुजरात	वडोदरा	105
19		पंचमहल	175
20		नर्मदा	95
21		गिर सोमनाथ	78
22	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1
23	जम्मू-कश्मीर	रियासी	48
24		श्रीनगर	462
25	कर्नाटक	धारवाड	51
26		मैसूर	88
27	केरल	कोच्चि	42
28		कोझिकोड	359
29		तिरुवनंतपुरम	31
30	मध्य प्रदेश	इंदौर	1290
31		उज्जैन	1

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर/जिला	पुनर्वास किए गए व्यक्तियों की संख्या
32	महाराष्ट्र	नागपुर	1025
33	मिजोरम	लुंगलेई	52
34	नागालैंड	दीमापुर	22
35	ओडिशा	कटक	74
36		पूरी	111
37		भुवनेश्वर	103
38	पुडुचेरी	पुडुचेरी	176
39		कराईकल	2
40	पंजाब	अमृतसर	21
41	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	187
42		डिंडीगुल/पलानी	126
43		इरोड	317
44		कन्याकुमारी	96
45		कोयंबटूर	294
46		मदुरै	594
47		रामेश्वरम	35
48		तिरुचेंदूर	19
49	तेलंगाना	वारंगल	53
50	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	219
51		लखनऊ	945
52		अयोध्या	483
53		कुशीनगर	94
54		झांसी	47
55		कानपुर	23
कुल			**10446**

* मार्च 2026 में योजना के कार्यान्वयन के लिए बेंगलुरु का चयन किया गया है।

संलग्नक-II

'स्माइल योजना के अंतर्गत प्रगति' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3728, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

कर्नाटक और महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास नामक उप-योजना के तहत समुदाय आधारित संगठन/गैर-सरकारी संगठन द्वारा स्वीकृत, आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

(रुपये लाख में)

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2023-24	2024-25	2025-26
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	5.02	30.71
2.	असम	0	0	5.02	14.99
3.	बिहार	29.17	29.63	0	27.10
4.	छत्तीसगढ़	29.17	26.86	9.09	42.83
5.	दिल्ली	29.17	33.95	30.72	31.44
6.	गुजरात	29.17	24.87	22.68	26.94
7.	झारखंड	0	0	0	5.02
8.	कर्नाटक	0	0	5.02	30.71
9.	मध्य प्रदेश	0	0	5.02*	5.02
10.	महाराष्ट्र	87.51	70.11	56.24	141.48
11.	मणिपुर	0	0	0	5.02
12.	ओडिशा	29.17	28.76	26.59	31.41
13.	पंजाब	0	0	5.02	28.99
14.	राजस्थान#	29.17	30.10	0	31.42
15.	तमिलनाडु	29.17	9.77	0	22.65
16.	उत्तर प्रदेश	0	0	5.02	10.16
17.	पश्चिम बंगाल	58.34	45.88	0	89.43
	कुल	**350.04**	**299.93**	**175.44**	**575.32**

*- निधियां स्वीकृत कर दी गई हैं, लेकिन सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकरण संबंधी मामले के कारण जारी नहीं की गई हैं।

- केंद्र ने 2024-25 से काम करना बंद कर दिया है

भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर/जिला	जारी की गई निधि (रुपये लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	29.34
2		तिरुपति	9.00
3		विशाखापत्तनम	33.35
4		गुंटूर	9.00
5		काकीनाडा	14.61
6		राजमुंदरी	14.61
7		कुरनूल	14.61
8		नेल्लोर	14.61
9		रायछोटी	38.96
10	अरुणाचल प्रदेश	नामसाई	30.83
11		फासीघाट	14.61
12	असम	होजाई/डोबोका	43.09
13		गोलाघाट	43.09
14		गुवाहाटी	29.34
15		तेजपुर	33.60
16		उत्तर लखीमपुर	14.61
17		सिलचर	14.61
18		बिश्वनाथ	14.61
19		चिरांग	14.61
20	बिहार	दरभंगा	9.00
21		पटना	33.35
22		बोधगया	17.60
23		नालंदा	9.00
24		मुजफ्फरपुर	9.00
25		पूर्णिया	9.00
26		भागलपुर	14.61
27		मुंगेर	14.61
28		सारन	14.61
29		सहरसा	14.61
30	चंडीगढ़ (यूटी)	चंडीगढ़	43.09
31	छत्तीसगढ़	रायपुर	14.61
32		बिलासपुर	14.61
33		दुर्ग	14.61
34		अंबिकापुर	14.61
35		जगदलपुर	38.96
36	दिल्ली एनसीटी	नई दिल्ली	33.35

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर/जिला	जारी की गई निधि (रुपये लाख में)
37		पुरानी दिल्ली	38.96
38		करोल बाग	38.96
39		द्वारका	38.96
40		मुनिरका	38.96
41		निजामुद्दीन	38.96
42		रोहिणी	38.96
43		शाहदरा	38.96
44	गुजरात	वडोदरा	43.09
45		पंचमहल	24.00
46		नर्मदा	24.00
47		गिर सोमनाथ	33.74
48		अंबाजी	14.61
49		भुज	14.61
50		जूनागढ़	14.61
51		पाटन	14.61
52		वडनगर	14.61
53		द्वारका (जामनगर)	14.61
54	हरियाणा	सोनीपत	9.00
55		पंचकुला	17.60
56		फरीदाबाद	14.61
57		कुरुक्षेत्र	14.61
58		गुरुग्राम	14.61
59	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	9.00
60		शिमला	24.00
61		चंबा	14.61
62		मनाली	14.61
63	जम्मू-कश्मीर	रियासी	9.00
64		श्रीनगर	41.95
65		अनंतनाग	14.61
66		पटनीटॉप	14.61
67		बडगाम	14.61
68	झारखंड	देवघर	9.00
69		रांची	33.35
70		गिरडीह	9.00
71		जमशेदपुर	9.00
72		धनबाद	14.61
73		हजारीबाग	14.61
74	कर्नाटक	धारवाड़	33.35
75		विजयपुरा	9.00

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर/जिला	जारी की गई निधि (रुपये लाख में)
76		मैसूर	29.34
77		बेलगावी (बेलगाम)	38.96
78		कलबुर्गी (गुलबर्गा)	38.96
79		मंगलौर	38.96
80		चित्रदुर्ग	38.96
81		दावनगेरे	38.96
82		बैंगलोर	38.96
83	केरल	कोच्चि	33.35
84		कोझिकोड	70.75
85		तिरुवनंतपुरम	33.74
86		अलप्पुझा	14.61
87		कोल्लम	14.61
88		कन्नूर	14.61
89		त्रिशूर	14.61
90		तिरुवंतपुरम	14.61
91	लद्दाख	लेह	14.61
92	मध्य प्रदेश	रतलाम	9.00
93		भोपाल	9.00
94		जबलपुर	9.00
95		खजुराहो	17.60
96		ओंकारेश्वर	17.60
97		इंदौर	33.74
98		उज्जैन	17.60
99		अमरकंटक	14.61
100		चित्रकूट	14.61
101		ओरछा	14.61
102	महाराष्ट्र	शिरडी	9.00
103		नागपुर	33.35
104		पुणे पिंपरी चिंचवाड़	9.00
105		छत्रपति संभाजी नगर	9.00
106		नासिक	17.60
107		कोल्हापुर	14.61
108		अमरावती	14.61
109		जलगांव	14.61
110	मेघालय	शिलांग	14.61
111	मणिपुर	बिष्णुपुर	33.35
112		इम्फाल पश्चिम	38.96
113		इम्फाल पूर्व	14.61
114	मिजोरम	आइजोल	33.35

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर/जिला	जारी की गई निधि (रुपये लाख में)
115		लुंगलेई	38.96
116	नागालैंड	दीमापुर	43.09
117		कोहिमा	14.61
118	ओडिशा	कटक	36.75
119		पूरी	33.35
120		भुवनेश्वर	33.35
121		बेरहामपुर	14.61
122		कोरापुट	14.61
123		अंगुल	14.61
124	पुडुचेरी	पुडुचेरी	51.69
125		कराईकल	38.96
126	पंजाब	अमृतसर	17.60
127		लुधियाना	14.61
128		जालंधर	14.61
129		पटियाला	14.61
130	राजस्थान	मेहंदीपुर	9.00
131		जयपुर	9.00
132		सिरोही	9.00
133		उदयपुर	17.60
134		अजमेर	14.61
135		अलवर	14.61
136		बीकानेर	14.61
137		जोधपुर	14.61
138		भरतपुर	14.61
139		कोटा	14.61
140	सिक्किम	गंगटोक	38.82
141	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	33.35
142		डिंडीगुल/पलानी	43.09
143		इरोड	43.09
144		कन्याकुमारी	43.09
145		कोयंबटूर	43.09
146		मदुरै	96.54
147		कांचीपुरम	38.96
148		रामेश्वरम	48.70
149		तिरुचिरापल्ली	14.61
150		तिरुचेंदूर	48.70
151		तिरुपुर	14.61
152	तेलंगाना	वारंगल	41.95
153		हैदराबाद	9.00

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर/जिला	जारी की गई निधि (रुपये लाख में)
154		रामागुंडम	9.00
155		करीमनगर	14.61
156	त्रिपुरा	अगरतला	14.61
157	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	33.35
158		मथुरा	9.00
159		लखनऊ	33.35
160		अयोध्या	17.60
161		कुशीनगर	17.60
162		आगरा	14.61
163		गाजियाबाद	14.61
164		झांसी	38.96
165		कानपुर	14.61
166		मेरठ	14.61
167		गोरखपुर	14.61
168		प्रयागराज	14.61
169		नोएडा	14.61
170		औरैया	14.61
171		संभल	14.61
172	उत्तराखंड	हरिद्वार	33.35
173		त्र्यंबकेश्वर मंदिर, पौड़ी	9.00
174		देहरादून	14.61
175		हल्द्वानी	14.61
176		पौड़ी गढ़वाल	14.61
177	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	14.61
कुल			**4003.75**

* महाराष्ट्र में पालघर जिले को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।
